न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2018-00306RAAJodhpur2018-126RTA223 Champa ors Vs Ranaram etc

1. स्व० चम्पा पत्नी प्रेमाराम के कायम मुकामः–
   1.1. अचलाराम पुत्र प्रेमाराम
   1.2. खेताराम पुत्र प्रेमाराम
   1.3. दिलीप पुत्र प्रेमाराम
   1.4. सुरेन्द्र पुत्र प्रेमाराम
   1.5. गुडडी पुत्री प्रेमाराम
   1.6. रूपा पुत्री प्रेमाराम
   1.7. ओमादेवी पुत्री प्रेमाराम
2. प्रेमाराम पुत्र जांवताराम

   सभी जातियान नाई, निवासीगण ढेलाना, तहसील लोहावट जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. स्व० राणाराम पुत्र रूगाराम के कायम मुकामः–
   1.1. भंवरलाल पुत्र स्व० राणाराम
   1.2. पपुराम पुत्र स्व० राणाराम
   1.3. माणकराम पुत्र स्व० राणाराम
   1.4. ओमप्रकाश पुत्र स्व० राणाराम
   1.5. मूमल पत्नी स्व० राणाराम

   जातियान नाई निवासी ढेलाना, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
   1.6. कमा पुत्री स्व० राणाराम पत्नी प्रेम नाई. निवासी तापू तहसील औसिया जिला जोधपुर।
   1.7. हीरा पुत्री स्व० राणाराम पत्नी भवानी जी जाति नाई. निवासी भयानदी के पास, फलोदी, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
2. सोनाराम पुत्र रूगाराम
3. रूखमो पत्नी मगाराम
4. सन्तोष पुत्री मगाराम
5. भंवरी पुत्री मगाराम
6. साउ पुत्री मगाराम
7. चन्दू पुत्र मगाराम
8. देवूड़ी पुत्री मगाराम
9. अनोपाराम पुत्र मोबताराम फौत के कायम मुकामः–
   9.1. अशोक पुत्र स्व० अनोपाराम

9.2. रामचन्द्र पुत्र स्व० अनोपाराम
9.3. मांगीदेवी पत्नी स्व० अनोपाराम
10. पूजाराम पुत्र कल्याणराम
11. कानाराम पुत्र कल्याणराम
12. गोपालराम पुत्र कल्याणराम

सभी जातियान् नाई, निवासीगण ग्राम ढेलाणा, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जुलाई 2018 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 240/2012 राणाराम व अन्य बनाम चम्पा इत्यादि

उपस्थित–
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1/1 से 1/5 व 02
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 02 जून 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 240/2012 अनवान राणाराम व अन्य बनाम चम्पा इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जुलाई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 08 अगस्त 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम ढेलाणा तहसील लोहावट के खेत खसरा संख्या 250 रकबा 23.04 बीघा, खसरा नंबर 239 रकबा 53.07 बीघा, खसरा नंबर 238 रकबा 2.06 बीघा के संबंध में खातेदारी घोषणा बाबत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जुलाई 2018 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि कभी भी स्व० जोगाराम के खातेदारी में दर्ज नहीं रही है एवं

न ही उसके द्वारा कभी वादग्रस्त आराजी पर काश्त की गई है। दौराने भू–प्रबन्ध प्रथम इन्द्राज जांवताराम, मोमताराम व कल्याणराम के नाम किया गया था। इस कारण इस वादग्रस्त भूमि को वादीगण/रेस्पो. संख्या एक व दो की पैतृक पुश्तैनी भूमि माना ही नहीं जा सकता है। विचारण न्यायालय ने वादीगण का दावा महज क्यासी दलीलो पर डिक्री करने में भारी भूल की है। वादीगण अपने दावे को दस्तावेजी अथवा जबानी शहादत से कतई साबित नहीं कर सके थे। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तो वादीगण का दावा हर सुरत में खारिज होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद बिन्दू संख्या एक को वादीगण के पक्ष में वर्णित करने में भारी भूल की है। वादीगण इस वाद बिन्दू को दस्तावेजी अथवा जबानी शहादत से कतई प्रमाणित नहीं कर सके थे। विवादग्रस्त भूमि कतई पैतृक पुश्तैनी भूगी नहीं रही है, बल्कि जावताराम, मोमताराम व कल्याणराम की स्व०अर्जित भूमि रही है। विचारण न्यायालय ने केवल वादी के जबानी कथनो को आधार मानकर इस वाद बिन्दू का निर्णय वादीगण के पक्ष में कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद बिन्द संख्या दो को वादीगण के पक्ष में निर्णित करने में भी भूल की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कभी भी कोई संयुक्त परिवार नहीं रहा एवं न वे संयुक्त परिवार के सदस्य रहे। वादीगण के पिता जोगाराम बन्दोबस्त की कार्यवाही से पूर्व ही पंजाब में जाकर रहने लग गये एवं वहीं पर कमाते खाते थे। आज दिन भी उनके परिवार के सदस्य वहीं पर रहते है। इस कारण वादीगण अथवा उसके पिता को विवादग्रस्त भूमि में कोई टेनेन्सी अधिकार अर्जित होना नही माना जा सकता। जोगा के पुत्रों का कभी भी कोई संयुक्त परिवार नही था। इतना ही नहीं जोगा के पुत्र कल्याण के नाम से गांव ढेलाणा में कृषि भूमि का पट्टा जारी किया गया था। इसी प्रकार खसरा नं० 122 की भूमि का भी जोगा के अन्य पुत्र के नाम पट्टा जारी किया गया था। इस कारण यह कतई नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की भूमि है। विचारण न्यायालय ने वाद बिन्दू सख्या एक व दो पर दिये गये गलत निर्णय के आधार पर ही वाद बिन्दू संख्या तीन को प्रतिवादी संख्या एक व आठ के विरूद्ध निर्णित कर दिया गया। जब वादीगण वाद बिन्दू सख्या एक व दो को साबित ही नहीं कर सके थे तो वाद बिन्दू संख्या तीन स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाना चाहिये था। विचारण न्यायालय ने वाद बिन्दू संख्या चार को प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित करने में भारी भूल की है, जबकी कानूनन दिनांक 15.02.2006 के बेचाननामें को

निरस्त किये बिना वादीगण को इस वाद में कोई अनुतोष प्रदान किया ही नहीं जा सकता है। विचारण न्यायालय ने वाद बिन्दू संख्या पांच छ को मनमाने ढंग से प्रतिवादीगण एक व आठ के विरूद्ध निर्णित कर दिया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह बखुबी साबित था कि वादीगण का विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा कभी भी नहीं रहा है एवं कब्जे के अभाव में घोषणात्मक वाद पोषणीय ही नहीं था। इतना ही नहीं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा जाहिरा मियाद बाहर था। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले में वादीगण को वाद प्रस्तुतीकरण हेतु कोई बिनाय दावा पैदा ही नहीं हुआ। वादीगण एवं उनके पिता शुरू से ही पंजाब में जाकर रहने लग गये एवं आज दिन भी उनके परिवार के सदस्य पंजाब में रह रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद बिन्दू संख्या सात को प्रतिवादी संख्या एक व आठ के विरूद्ध निर्णित करने में भारी भूल की है। वादीगण ने वर्तमान वाद विवादग्रस्त भूमि को पैतृक पुश्तैनी भूमि होना मानते हुए पेश किया है। इन परिस्थितियों में प्रतिवादीगण के अलावा उनकी पुत्रीयों इत्यादि को भी वाद में पक्षकार स्थापित किया जाना चाहिये था। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन डिक्री व निर्णय पारित करने में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों का बिल्कुल गलत एवं मनमाना अर्थ निकाला है। इस कारण भी अपीलाधीन डिक्री व निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जुलाई 2018 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की पुष्तैनी खातेदारी की भूमि है तथा मौके पर वादग्रस्त आराजी पर 1/4 भाग पर वादीगण/रेस्पो. का कब्जा काष्त है। वादीगण के पिता रूगाराम का नाम वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त आराजी में दर्ज होने से रह गया था। मोबताराम एवं कल्याणाराम के वारिसान् द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले मे विरचित तनकीयात पर अपना निष्कष पारित करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री

पारित की है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रष्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक की भूमि खसरा नंबर 243(खसरा नंबर 243/1 सहित) का जमाबंदी में रकबा 201.08 बीघा दर्ज है तथा राजस्व नक्षे में उक्त खसरा का रकबा 150.15 बीघा ही दर्ज है। वही अपीलांट की भूमि खसरा नंबर 244 का जमाबंदी में रकबा 143.19 बीघा दर्ज है तथा राजस्व नक्षे में खसरा नंबर 244 की दो जगह तरमीम अंकित है तथा इन दोनो टुकड़ों का रकबा 149.11 बीघा एव 41.12 बीघा यानि 191.13 बीघा दर्ज है। वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक के इन कथनों की ताईद तहसीलदार फलोदी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट से होती है। पटवारी हल्का सांवरीज द्वारा मौके पर पैमाईष किये जाने पर मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार **चित्र संख्या ए.बी.सी.डी. खसरा नंबर 244 का रकबा जमाबंदी अनुसार 143.19 बीघा दर्ज है।** नक्षा ए.बी.सी.डी. एवं ए.जी.एफ.जी. का रकबा 149.11 बीघा एवं 41.12 बीघा कुल रकबा 191.03 बीघा होता है। इसी प्रकार खसरा नंबर 243 का चित्र संख्या ए.बी.आई.एच.जी के अनुसार रकबा 150.15 बीघा होता है, जबकि जमाबंदी में खसरा नंबर 243 का रकबा 201.08 बीघा दर्ज है। **चित्र संख्या ए. बी.आई.एच.जी का क्षेत्रफल जमाबंदी अनुसार 201.08 बीघा होना चाहिए, लेकिन नक्षा अनुसार यह क्षेत्रफल 150.15 बीघा ही होता है।** यह उल्लेखनीय है कि राजस्व नक्षे में खसरा नंबर 244 की दो जगह तरमीम अंकित है। प्रदर्ष ए.एक्स–10 के अनुसार चित्र ए. बी.डी.सी.ई. के अनुसार खसरा नंबर 244 का रकबा जमाबंदी एवं नक्षे के अनुसार पूर्ण हो जाता है। राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से चित्र ए.ई.एफ.जी. के भाग खसरा नंबर 243 में सम्मिलित किये जाने के बजाय पुनः खसरा नंबर 244 पुनः अंकित किये गये है जो लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार फलोदी की रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत निर्णय

एवं डिक्री पारित किये गये है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 180/2016 अनवान बिरबलराम बनाम रूगा इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 अगस्त 2020 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेंटस –

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध डिकी व निर्णय दिनांक 20.07.2018 जो राजस्व वाद संख्या 240/2012 में सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित किये गये ।

मान्यवरजी

अपीलार्थी निम्नलिखित उजरात अपील पेश करते है

1 यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिकी व निर्णय विधि, विधान सचिका अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरित तथा इसाफन व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है।

2 यह कि

13 यह कि अन्य उजरात बरवक्त बहस एवं बाद देखने रेकर्ड माननीय न्यायालय की अनुमती से निवेदन किये जावेगे ।

अत अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे अपीलाधीन डिकी व निर्णय दिनांक 20.07 2018 निरस्त किये जावे तथा वादी का दावा खारिज किया जावे ।